

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भावन,
पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार,
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक ०७ अगस्त, 2019

विषय- जनपद-सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

(प्रस्ताव सं०- FP/UP/IRRIG/20269/2016)

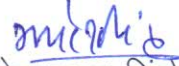
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०- पत्र संख्या-8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./149 दिनांक-04.07.2019 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र सं०-257/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/IRRIG/20269/2016, दिनांक 07.08.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या निम्नवत् है :-

Sl.No.	क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर०ई०सी०) की बैठक दिनांक-02.07.2019 में उठायी गयी आपत्ति	आपत्ति पर आख्या
1	2	3
(a)	Detailed compliance of the conditions/ recommendation of the committee on different components of the Terms of Reference for transfer of Forest land to the Irrigation Department for purpose of said Irrigation Project have not been submitted by the state government as well as Project Proponent.	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित अभिलेख पूर्व में प्रेषित किया गया है जिसकी प्रति पुनः इस पत्र के साथ संलग्न।
(b)	Proposal of Compensatory Afforestation on equivalent Non-Forest land against diversion of proposed 127,1637 ha of forest land for canals and subsidiary canals have been submitted by the state government. However, Compliance on issues regarding raising CA on balance 1295 hectare and enrichment planting as recommended by Committee with reference to the order of Hon'ble NGT regarding above said Irrigation project is still awaited. In view of this the Proposal is deferred for the next meeting.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।

2- इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा उपर्युक्त पत्र दिनांक 07.08.2019 उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों को संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव